

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004402014

दांडिक प्रकरण क्र.-497 / 14

संस्थापित दिनांक-28.08.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-धर्मपाल पुत्र सेंधपाल सिंह परमार उम्र 25 साल निवासी वतरवास विर्धा जिला ललितपुर उ0प्र0।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री सुमन अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 04.01.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 25/27 आर्म्स एक्ट के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी एल. आर. पैकरा ने दिनांक 31.05.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को वह टी आई साहब आर बी एस सिकरवार के साथ मय फोर्स मुखविर द्वारा बताए स्थान नहर की पुलिया के पास ग्राम मोहनपुर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में राहगीर विजय बुंदेला, निवासी ग्राम लिधौरा का कला जिसे मुखविर द्वारा प्राप्त सूचना से अवगत कराया फिर मुखविर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे जहां कुछ दूरी पर दो व्यक्ति जाते दिखे जिनमें से एक व्यक्ति बाएं कंधे पर बंदूक टांगे दिखा जिसको फोर्स की मदद से घेरकर श्रीमान टीआई साहब ने पकड़ा व दूसरा व्यक्ति जो दाहिने हाथ में एक देशी कटटा 315 बोर का अधिया लिए था जिसे फरियादी एल आर पैकरा ने मय फोर्स के घेरकर पकड़ा एवं नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मपाल पुत्र सेंधपाल सिंह परमार उम्र 25 साल निवासी ग्राम वतरवास जिला ललितपुर हाल ग्राम पगरा का होना बताया एवं कटटे के संबंध में लायसेंस मांगने पर न होना बताया एवं पहने हुए कपड़ों की तलाशी लेने पर पेंट के दाहिने तरफ की जेब में एक कारतूस व कटटा में एक कारतूस लोड मिला। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 227/14 के अंतर्गत 25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध 25/27 बी आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध रचित

कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी दिनांक 31.05.14 को 19.35 बजे नहर की पुलिया के पास ग्राम मोहनपुर थाना चंदेरी में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के देशी कटटा 315 बोर का कटटा एवं दो जिंदा कारतूस रखे पाये गये ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में अ.सा. 01 एल आर पैकरा, अ.सा. 02 अनिल कुमार, अ.सा. 03 विजय सिंह, अ.सा. 04 गणेश बहादुर, अ.सा. 05 वसी आसिम कुरैशी, अ.सा. 06 डी. एस. राठौर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपी की ओर से कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई।

07— अभियोजन साक्षी 01 एल आर पैकरा ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 31.05.14 को थाना चंदेरी में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार उन्हें मुखविर द्वारा सूचना मिली थी कि नहर पुलिया के पास आरोपी अवैध हथियार लिए कोई अपराध करने की नीयत से पाया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचने पर आरोपी मिला था जिसके कब्जे में 315 बोर का एक कटटा मिला था जिसे विजय सिंह एवं कॉस्टेबल अनिल कुमार के समक्ष जप्त किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार थाना वापसी पर आरोपी के विरुद्ध कायमी कर आरोपी को प्रपी 01 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। अ.सा. 01 के अनुसार जप्ती प्रपी 02 के अनुसार की गई थी एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 03 लेखबद्ध की गई थी जिनके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार वे आठ-दस लोग घटनास्थल पर गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी मौके पर अकेला मिला था। उक्त साक्षी के अनुसार घटना के समय आसपास के घर वाले नहीं आए थे तथा उसने घटनास्थल का नक्शामौका नहीं बनाया था। उक्त साक्षी के अनुसार वह घटना दिनांक का रोजनामचा लेकर नहीं आया है। अ.सा. 02 अनिल कुमार ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह उपनिरीक्षक पैकरा, आरक्षक नीरज तिवारी, अरविंद एवं दरोगा पाल के साथ मोहनपुर से पूर्व नहर की पुलिया पर गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार मुखविर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हथियार लेकर रोड पर जा रहे हैं। उक्त साक्षी के अनुसार रास्ते में विजयसिंह नाम का व्यक्ति मिला जिसे तस्दीक हेतु रख लिया तथा मौके पर दो व्यक्ति मिले थे जिनमें से एक व्यक्ति 315 बोर की बंदूक लिए हुए था। उक्त साक्षी के अनुसार उन्होंने आरोपी को दौड़कर पकड़ा था तथा आरोपी के पास जो बंदूक मिली थी उस पर उपनिरीक्षक पैकरा ने प्रपी 01 एवं प्रपी 02 की कार्यवाही की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी की तलाशी पैकरा साहब ने ली थी।

08— अ.सा. 03 विजय सिंह ने अपने कथन में बताया है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा उसे नहीं पता कि पुलिस वालों ने किस बात के हस्ताक्षर करवाए थे। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने उससे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था इसलिए उसने कर दिए। अ.सा. 04 गणेश बहादुर ने अपने कथन में बताया है कि उसे दिनांक 25.07.

14 को प्रस्तुत प्रकरण में जप्तशुदा एक 315 बोर का देशी कटटा व दो जिंदा राउंड जांच हेतु प्राप्त हुए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रपी 05 तैयार किया था जिसके अनुसार कटटा चालू हालत में था तथा राउंड जिंदा थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि कटटा किस तारीख को जप्त किया गया था। अ.सा. 05 वसी आसिम कुरैशी ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 22.08.14 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अभियोजन हेतु स्वीकृति चाही गई थी जिसमें जिला कलेक्टर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने हेतु दिनांक 22.08.14 को स्वीकृति दी गई थी जिसका आदेश प्रपी 06 है जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने लघु हस्ताक्षर होना बताया है तथा बी से बी भाग पर जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार अभियोजन स्वीकृति का आदेश जिला कलेक्टर के आदेशानुसार तैयार किया था। अ.सा. 06 डी एस राठौर ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 31.05.14 को थाना चंदेरी में एएसआई के पद पर पदस्थ था जिसमें उसने विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि साक्षीगण ने अपने कथन नहीं दिए तथा उसने अपने मन से लेखबद्ध कर लिए।

09— प्रकरण में अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें साक्षी विजय सिंह पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, किंतु उसके अनुसार उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। प्रकरण में अ.सा. 05 अभियोजन स्वीकृति का साक्षी है तथा उक्त साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। यही स्थिति अ.सा. 04 की भी है। उक्त साक्षी के द्वारा मात्र प्रकरण में जप्तशुदा हथियार की जांच की गई है। उक्त साक्षी भी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अ.सा. 05 मामले का विवेचक है तथा उक्त साक्षी भी मामले का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में मात्र अ.सा. 01 लगायत अ.सा. 03 ही ऐसे साक्षी हैं, जिनके समक्ष घटना घटित हुई। उक्त साक्षीगण में से अ.सा. 03 पक्षद्रोही हो गया है। इस प्रकार अभिलेख पर मात्र अ.सा. 01 एवं 02 की साक्ष्य शेष रह जाती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 की साक्ष्य में यह विरोधाभास है कि अ.सा. 01 के अनुसार घटनास्थल पर आरोपी मिला था, वहीं अ.सा. 02 के अनुसार घटनास्थल पर दो व्यक्ति मिले थे। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 दोनों ही पुलिस के साक्षी हैं तथा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी भी हैं, किंतु उपरोक्त साक्षीगण ने घटनास्थल के संबंध में अलग-अलग कथन किए हैं और इस प्रकार उनके कथन विरोधाभासी हैं। अ.सा. 01 ने स्वयं अपने कथन में बताया है कि घटनास्थल के आसपास कई लोगों के मकान थे, किंतु उन्होंने उनके कथन नहीं लिए। प्रकरण में घटनास्थल का नक्शामौका भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10— उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार मुखविर की सूचना के आधार पर वे लोग रवाना हुए थे, किंतु अभियोजन द्वारा प्रकरण में वह रवानगी सान्हा एवं वापसी सान्हा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रमाणित कराया गया है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा हथियार भी साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत **म.प्र. राज्य वि० कृष्ण कुमार 1997 (1) एमपीडब्ल्यूए 203 म०प्र०** अनुकरणीय है। उक्त न्यायादृष्टांत में यह अभिमत दिया गया है कि वस्तुओं पर प्रदर्श अंकित किए बिना विधि की दृष्टि से कोई विधिक जप्ती नहीं मानी जा सकती। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में भी यही स्थिति है। इसी बिंदु पर एक अन्य न्यायदृष्टांत **मुनि सिंह वि० बिहार राज्य 2006 कि. लॉ. जनरल 88.:2006 (4)** भी अनुकरणीय है। उक्त न्यायदृष्टांत

में भी उक्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्रकरण में अ.सा. 01 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि घटनास्थल में क्षेत्र के अन्य व्यक्ति भी जप्ती के रूप में उपलब्ध थे, किंतु उन्हें शामिल नहीं किया गया। अतः इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत **साहिब सिंह वि० पंजाब राज्य 1996 (6) सुप्रीम 774** अनुकरणीय है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि क्षेत्र के अन्य व्यक्ति जप्ती के साक्षी के रूप में उपलब्ध हों और उन्हें शामिल नहीं किया गया तो इससे पुलिस अधिकारी की साक्ष्य का वजन प्रभावित होता है।

11— प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभिलेख पर मात्र पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य है, किंतु प्रकरण में मात्र पुलिस निरीक्षक की साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं माना जा सकता। इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत **राम मनोहर वि० म०प्र० राज्य कि. लॉ. रि. 284 म०प्र० नोट** अनुकरणीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में उक्त सिद्धांत को ही प्रतिपादित किया गया है।

12— अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य एवं न्यायदृष्टांतों के विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को 25/27 आर्म्स एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक देशी कटटा अधिया 315 बोर की एवं दो जिंदा राउंट 315 बोर के मूल्यहीन होने से जिला कलेक्टर अशोकनगर को नष्ट किए जाने बाबत भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

15— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)